

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1740  
10.03.2025 को उत्तर के लिए

वाहनों द्वारा उत्सर्जन

1740. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) प्रमुख शहरों में पीएम 2.5 के स्तर को बढ़ाने में वाहनों द्वारा उत्सर्जन की हिस्सेदारी कितनी है;
- (ख) स्वास्थ्य और जलवायु के अद्यतन निष्कर्षों के अनुरूप राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक, 2009 को अद्यतन बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को रोकने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किया गया है और क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) :

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत शामिल शहरों में किए गए विभिन्न स्रोत संविभाजन अध्ययनों के अनुसार, पीएम 2.5 में परिवहन क्षेत्र का योगदान गर्मी में 6-49% और सर्दी में 18-37% के बीच है। परिवहन क्षेत्र से पीएम 2.5 सांद्रता में शहरवार प्रतिशत स्रोत योगदान **संलग्नक-1** में दिया गया है।

इस मंत्रालय ने जन स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम सहित 12 मापदण्डों नामतः पीएम10, पीएम2.5, एसओ2, एनओ2, सीओ, एनएच3, ओजोन, सीसा, बेंजीन, बेंजो-ए पाइरीन, आर्सेनिक और निकेल के लिए वर्ष 2009 में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक

(एनएएक्यूएस) अधिसूचित किए थे। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की समीक्षा शुरू की गई है और अध्ययन का कार्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर को सौंपा गया है।

वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के समाधान हेतु, सरकार ने अनेक सक्रिय उपाय किए हैं जैसे दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में और दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से देश के बाकी हिस्सों में वाहनों के लिए बीएस-V ईंधन मानदंडों की शुरुआत करना, वाहन स्क्रेपिंग नीति की शुरुआत करना और विभिन्न केंद्रीय स्कीमों के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ावा देना। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अभिसरण के माध्यम से 13 शहरों में कुल 1,130 ई-बसें शुरू की गई हैं और 16 शहरों में 163 ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की पीएम-ईबस सेवा स्कीम के तहत, इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग स्टेशनों के माध्यम से शहरी परिवहन को बढ़ाने के लिए कुल 57,613 करोड़ रुपये के स्कीम परिव्यय में से 13,778 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। कुल 76 एनसीएपी शहर पीएम-ईबस सेवा स्कीम के तहत 6,889 इलेक्ट्रिक बसों के लिए पात्र हैं। अब तक, 46 एनसीएपी शहरों में 3,989 बसों और 61 डिपो को स्वीकृति दी गई है।

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एनसीएपी शहरों में 64 पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ) और 130 स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) स्थापित करने का निर्देश दिया है। अब तक, 22 आरवीएसएफ चालू हैं, जिनमें 11 स्वीकृत हैं, और 18 एटीएस कार्यात्मक हैं, इसके अलावा 42 एटीएस और स्वीकृत किए गए हैं।

इस मंत्रालय ने प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहनों के पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंधन के लिए दिनांक 06.01.2025 को पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया।

सरकार ने पूरे देश में वायु प्रदूषण के स्तर के उपशमन के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति के रूप में वर्ष 2019 में एनसीएपी शुरू की है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले और मानकों को पूरा न करने वाले 130 शहरों (लगातार पांच वर्षों के लिए एनएएक्यूएस अधिक वाले शहर) की पहचान की है। वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शहरी विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं मानकों को पूरा न करने वाले और 10 लाख से अधिक आबादी वाले 130 शहरों में कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई हैं और कार्यान्वित की गई हैं।

ये शहरी विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं शहरी विशिष्ट वायु प्रदूषण स्रोतों जैसे मृदा और सड़क की धूल, वाहनीय, घरेलू ईंधन, एमएसडब्ल्यू का जलना, विनिर्माण सामग्री और उद्योगों को

अल्पकालिक प्राथमिकता कार्रवाई के साथ-साथ जिम्मेदार एजेंसियों के साथ मध्यम से लंबी समय सीमा में लागू करने के लिए लक्षित हैं।

वाहनों से होने वाले उत्सर्जनों को नियंत्रित करने के लिए, एनसीएपी के अनुसार वार्षिक कार्य आयोजना में निम्नलिखित कार्रवाइयां शामिल की गई हैं और इन्हें शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/नगरीय कार्यान्वयन समितियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है :

- प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) केंद्रों की संख्या
- पीयूसी प्रमाणपत्रों के साथ पंजीकृत वाहनों की संख्या
- पीयूसी केंद्रों को रिमोट सर्वर से जोड़ना और पीयूसी परीक्षण में मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करना।
- वाहन लेबलिंग या स्टिकर कार्यक्रम
- माल ढुलाई के लिए कम-यात्री चलने वाले समय का उपयोग और दिन के समय में शहरों में भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करना
- ट्रकों की ओवरलोडिंग की जांच करना
- स्वच्छ ईंधन और ईंधन की गुणवत्ता
- मल्टी-लेयर पार्किंग का विकास करना
- छोटी बसों के उपयुक्त बेड़े के आकार और वांछनीय बस जैसी सिटी बस प्रणाली की पहुंच होना और उन्हें चलाना।
- सार्वजनिक परिवहन के लिए नई इलेक्ट्रिक बसों (चार्जिंग स्टेशनों जैसी उचित बुनियादी सुविधाओं सहित) और सीएनजी बसों की शुरुआत करना जिससे सड़क पर निजी वाहन कम हो और टेल-पाइप उत्सर्जन को रोकने में मदद मिले।
- शहर में ऑटो गैस आपूर्ति के लिए सीएनजी बुनियादी अवसंरचना और सार्वजनिक परिवहन वाहनों का सीएनजी मोड में परिवर्तन
- ई-रिक्शा/ई-गाड़ी जैसे बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना
- ई-वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना विकसित करना
- यातायात को सुव्यवस्थित करना/लेन-ड्राइविंग के लिए उचित यातायात प्रणाली (आईटीएस) शुरू करना।
- सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए बुनियादी अवसंरचना में सुधार के लिए योजना तैयार करना
- पुराने वाहनों और वाहन स्क्रेपेज पॉलिसी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना
- एनएमटी नेटवर्क विकसित करने के लिए जोनल योजनाएं तैयार करना और उन्हें लागू करना

एनसीएपी के तहत, वायु गुणवत्ता में सुधार के उपाय करने के लिए शहरी कार्य योजनाओं को लागू करने हेतु 130 शहरों को अब तक 11,541.88 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मानकों को पूरा न करने वाले और 10 लाख से अधिक आबादी वाले 130 शहरों में से, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान के स्तरों की तुलना में 95 शहरों में पीएम10 की सांद्रता में कमी देखी गई है, जिसमें 22 शहरों में पीएम10 सांद्रता में 40% से अधिक, 30 शहरों में 20-40% से अधिक, 21 शहरों में 10-20% से अधिक और 22 शहरों में 1-10% तक की कमी देखी गई है। इसके अलावा, 130 शहरों में से 16 शहर ऐसे (गुलबुर्गा, नलगोंडा, डमताल, ऑंगोल, चित्तूर, नेल्लोर, कुरनूल, डेरा बाबा नानक, नया नांगल, सिलचर, परवानू, सुंदर नगर, शिवसागर, कडप्पा, त्रिची, तूतीकोरिन) हैं जो वार्षिक औसत पीएम10 सांद्रता अर्थात् 60 माइक्रोग्राम/मीटर<sup>3</sup> के एनएएक्यूएस को पूरा कर रहे हैं।

\*\*\*\*\*

परिवहन क्षेत्र से पीएम<sub>2.5</sub> सांद्रता में हुए स्रोत योगदान का प्रतिशत

क्र.स.	शहर	मौसम	पीएम <sub>2.5</sub> का योगदान % में
1	सूरत	गर्मी	6
		सर्दी	23
2	मुंबई	गर्मी	16
3	पुणे	सर्दी	18
4	गाज़ियाबाद	गर्मी	22
5	आगरा	गर्मी	14
		सर्दी	23
6	दिल्ली	गर्मी	20
		सर्दी	30
7	बैंगलुरु	गर्मी	49
		मानसून	44
		सर्दी	37
8	औरंगाबाद	गर्मी	16
9	अमरावती	गर्मी	25
10	नाशिक	सर्दी	28
11	नवी-मुंबई	सर्दी	19
12	कानपुर	गर्मी	7
		सर्दी	30